अध्याय 13

बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण

बालक समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति है। उसके विकास से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार, समाज एवं राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए।

समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार हैं। यह सही है कि वह आयु में छोटा है। उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। बालक की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान है। भविष्य के सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवष्यक है। इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास एवं उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरुक रहता है। बालकों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के संबंध में चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार एवं नीतियों का निर्धारण किया हैं। बच्चों को उनके जन्म से ही उसकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार किसी धर्म, जाति और लिंग के भेद के बिना स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।

बाल अधिकार क्या है ?

बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून, 2005 के अनुसार 'बाल अधिकार' में बालक/बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे तथा जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को चार प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. **जीने का अधिकार :** बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाता है। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने, भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
2. **विकास का अधिकार :** बच्चों को भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। 'भावनात्मक विकास' तब सम्भव होता है जब अभिभावक, संरक्षक, समाज, विद्यालय और सरकार सभी बच्चों की सही देखभाल करें और प्रेम दें। 'मानसिक विकास' उचित शिक्षा और

सीखने द्वारा तथा 'शारीरिक विकास' मनोरंजन, खेल–कूद तथा पोषण द्वारा सम्भव होता है।

3. **संरक्षण का अधिकार :** बच्चे को घर तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। विकलांग बच्चे विषेष संरक्षण के पात्र हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

4. **भागीदारी का अधिकार :** बच्चे को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चों की आयु व परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं।

गतिविधि–

आपके विचार में बच्चों के कौन–कौन से अधिकार होने चाहिए, उनकी एक सूची बनाइए।

बाल अधिकार हनन क्या है ?

हम बाल अधिकार के हनन को उसके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं। बाल अधिकारों का हनन निम्नलिखित रूपों में देखा जाता है :

1. **कन्या भ्रूण हत्या :** समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अपरिपक्व मानसिकता एवं पुत्र मोह की इच्छा में समाज में बड़ी संख्या में बालिकाओं को जन्म से पूर्व गर्भ में ही मार दिया जाता है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु ''पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. कानून, 1994'' के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' अभियान संचालित किया जा रहा है।

2. **बाल विवाह :** समुचित शिक्षा एवं जनचेतना की कमी के कारण बड़ी संख्या में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होते हैं। यह पुरानी सामाजिक कुरीति है। इससे बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने के अधिकारों के हनन के साथ–साथ ही हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शरीर और मस्तिष्क, दोनों को बहुत गंभीर और घातक खतरे की संभावना रहती है। कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है, इसकी वजह

से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं। इससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज्यादा संभावना नहीं बचती है। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु ''बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006'' का क्रियान्वन किया जा रहा है।

3. **बाल श्रम :** आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय दुकानों, कारखानों, घरों, ढाबों, चाय की दुकानों, ईट भट्टों, खेतों आदि स्थानों पर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। उनसे लगातार काम लेकर उनका शोषण किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने की सूचना मिलने पर ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000'' के तहत कार्यवाही की जाती है।

4. **बाल यौन हिंसा :** भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' लागू किया गया है।

5. **बाल तस्करी :** बाल श्रम, यौन हिंसा एवं अन्य प्रयोजनों के लिए पैसे देकर, बहला–फुसलाकर, डरा–धमकाकर, शक्तियों का दुरूपयोग करके या अपहरण करके बालक/बालिकाओं की तस्करी की जाती है। ऐसे अपराधिक कार्यों की रोक–थाम के लिए दण्डात्मक कानून बनाए गए हैं।

गतिविधि–

आप अपने आस–पास के परिवेश में जिन बाल–अधिकारों का हनन होते हुए पाते हैं उनकी एक सूची बनाइए।

बाल दुर्व्यवहार क्या है ?

बच्चों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं हिंसा को बाल दुर्व्यवहार माना गया है।

1. शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब ऐसे किसी भी कार्य से है जो बच्चे को पीड़ा दे, चोट पहुँचाए या तकलीफ दे।
2. बाल यौन दुर्व्यवहार में वे सभी अपराध सम्मिलित हैं, जो ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम'' में सम्मिलित किए गए हैं।
3. भावनात्मक दुर्व्यवहार में वे कार्य या चूक सम्मिलित हैं जिनके कारण बच्चा किसी भी तरह के तनाव, भावनात्मक या मानसिक पीड़ा का शिकार बनता हो।
4. ऐसा किसी भी पूर्वाग्रही व्यवहार जो बच्चे की जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म या क्षेत्र के आधार पर किया जाता है।

बच्चों को सजा देना उन्हें अनुशासित करने और उन्हें वयस्क के अधिकार में लाने का एक परम्परागत तरीका माना जाता है, किन्तु शारीरिक हो या मानसिक बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा गलत है। ये बातें दीर्घावधि में बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ये गतिविधियाँ बालकों में शारीरिक और व्यवहारपरक नकारात्मक पैटर्न विकसित कर देती हैं। इनके प्रभावस्वरूप बच्चों में अनिद्रा, नैराश्य की

भावना, खुद को बेकार समझना, क्रोधित होकर चिल्लाना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, दोस्तों से अलग होना, ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाना, पढ़ाई में कमजोरी, झगड़ालू व्यवहार, नफरत, विद्यालय या घर से भागना जैसी स्थितियाँ सामने आ सकती है। बच्चे की आत्मसुरक्षा की भावना खत्म हो सकती है।

बच्चों के कर्त्तव्य

अधिकारों के साथ कर्त्तव्य भी जुड़े हुए हैं। बच्चों से जिन कर्त्तव्यों की पालना की अपेक्षा की जाती है, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. बच्चों को अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाहरी लोगों का सम्मान करना चाहिए।
2. बच्चों को अपने से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ अभिभावकों और शिक्षकों को देनी चाहिए।
3. दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को बाँटना चाहिए।
4. कभी भी दूसरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक चोट पहुँचाने का काम न करें, तनाव न दें। धमकाएँ नहीं और छोटे नामों से न पुकारें। अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल न करें।
5. अपनी निजी वस्तुएँ हमें देने के लिए दूसरे बच्चों को बाध्य नहीं करें।

हमारी सुरक्षा–हमारी जिम्मेदारी

अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। बच्चों को चाहिए कि वे अपने आसपास की स्थितियों के प्रति सजग रहें, ताकि कोई परेशानी हो तो पहले ही पता लग जाए। इसके लिए बच्चों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए–

1. ऐसी जगह मत जाओ जहाँ आपको असुरक्षा महसूस होती हो। जैसे ही कोई खतरा महसूस हो, वहाँ से निकल जाओ।
2. किसी अजनबी के घर अकेले न जाएँ। जब भी कहीं जाओ, तो वहाँ के सम्पर्क का माध्यम क्या है और किसके साथ जा रहे हो, ये जानकारियाँ अपने अभिभावक या संरक्षक को जरूर देकर जाओ।
3. अजनबियों से बात करते या कुछ लेते समय सतर्क रहो। कोई तुम्हें उपहार, खिलौने, पैसे, गाड़ी में लिफ्ट देने या घुमाने का लालच दे तो इसके बारे में अपने अभिभावकों, संरक्षकों या प्रशासन व कर्मचारियों को जरूर बताओ।
4. ज्यादा लोगों के बीच में रहना अधिक सुरक्षित होता है, अतः समूह में खेलो और घूमो।
5. अचानक कोई धमकी या चेतावनी मिलती है तो जोर से आवाज लगाओ और अपने साथियों को बुलाओ।
6. यदि किसी के व्यवहार से आपको परेशानी महसूस हो रही है तो इसके बारे में अपने अभिभावकों या विश्वसनीय लोगों को बताओ। यदि आप अकेले हैं और खतरा महसूस कर रहे हैं तो 1098 या 100 नम्बर पर फोन करो।
7. सूने स्थानों के शौचालयों में अकेले न जाएँ।
8. इंटरनेट पर या अजनबी व्यक्तियों को अपना नाम, पता, उम्र, फोटो आदि उजागर न करें।
9. कोई आपके परिवार के बारे में आपात स्थिति बताए तो स्कूल द्वारा इसकी पुष्टि किए बिना स्कूल न छोड़ें।

गतिविधि–

अपनी सुरक्षा के लिए बालकों को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए।

बाल संरक्षण हेतु तन्त्र

राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं/ कार्यक्रमों/नीतियों/अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इस कार्य में निम्नलिखित संस्थाएँ उसको सहयोग प्रदान करती हैं–

1. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

यह आयोग बालक/बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामलों की जाँच और सुनवाई के साथ–साथ बच्चों से जुड़े कानूनों/योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी/समीक्षा का कार्य करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोस्को), 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी भी आयोग को दी गई है।

2. राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति

यह समिति राज्य में विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों/कानूनों/नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में ''जिला बाल संरक्षण ईकाई'', प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ''ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति'' एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ''ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति'' का गठन किया गया है। इनका उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन एवं जागरूकता उत्पन्न करना है।

3. चाईल्ड हेल्प लाईन (1098)

राज्य में कठिनाईयों में घिरे पीड़ित/उपेक्षित/लावरिस तथा देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 20 जिलों में 24 घण्टे निःशुल्क आपातकालीन पहुँच सेवा '1098' टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में यह सेवा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर बाँसवाड़ा डूँगरपुर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर जिले में संचालित हैं।

शब्दावली

1. शारीरिक : शरीर संबंधी
2. मानसिक : मन की कल्पना से संबंधित
3. भावात्मक : भावनाओं संबंधी, भावमय

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प चुनिए–

(1) निम्नलिखित में से कौनसा बाल अधिकार हनन् का उदाहरण है।

(अ) शिक्षा देना (ब) बाल विवाह करना

(स) भोजन देना (द) सुरक्षा देना ( )

(2) राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है–

(अ) कृषि विभाग (ब) वन विभाग

(स) बाल अधिकारिता विभाग (स) इनमें कोई नहीं ( )

2. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
1.	बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार	जीने का अधिकार
2.	भोजन, आवास व वस्त्र पाने का अधिकार	विकास का अधिकार
3.	शिक्षा पाने का अधिकार	संरक्षण का अधिकार

3. बाल अधिकार कौन–कौन से हैं ?
4. बच्चों के पाँच कर्त्तव्य लिखिए।
5. अपनी सुरक्षा के लिए बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।